International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

भारत विभाजन के संदर्भ में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के विचार: एक अनुशीलन

गोविन्द मिश्र[1], डॉ. कुलदीप कुमार मिश्र[2]

[1]शोध छात्र, (UGC NET, ICHR-JRF) मध्यकालीन एवम आधुनिक इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज.
[2]सहायक आचार्य, मध्यकालीन एवम आधुनिक इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज.

सार-
भारतीय इतिहास में भारत का विभाजन एक वीभत्स सत्य है। पाकिस्तान के उद्भव के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अपनी राय प्रस्तुत की है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के कई नेता भारत विभाजन के पक्ष में नहीं थे लेकिन वही नेता जिन्होंने बार-बार भारत के बंटवारे पर एतराज जताया, अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत का विभाजन कर स्वशासन प्राप्त कर लिया जाए। भारत की आजादी के संघर्ष के दौरान कांग्रेस पार्टी ने बार-बार हिंदू मुस्लिम फसाद को साम्राज्यवादी सरकार की देन बताया है। इसमें दो राय नहीं है कि 1857 के संघर्ष के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने यह समझ लिया था कि अपनी सत्ता को स्थायित्व प्रदान करने हेतु हिंदू मुस्लिम वैमनस्य को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। भारत विभाजन के संदर्भ में डॉ. अम्बेडकर ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, एक तरफ वे हिंदू समाज के जाति से उत्पन्न छुआछूत के प्रबल विरोधी थे तो वही उनका यह भी मानना था कि कट्टरपंथी मुस्लिम नेतृत्व में भी इस समाज को बर्बाद किया है।

बीज शब्द- भारत, पाकिस्तान, स्वशासन, साम्राज्यवादी।

भारतीय इतिहास में भारत का विभाजन एक वीभत्स सत्य है। भारत के विभाजन में संदर्भ में कई कारणों का उल्लेख किया जाता है। ब्रिटिश सरकार के अधीन उनके द्वारा अपनाई गई फूट डालो राज करो की नीति प्रमुख थी। 1857 के संग्राम में मुस्लिमो द्वारा महत्वपूर्ण निभाई गई भूमिका थी, जिसके पश्चात ब्रिटिशों का मुस्लिमों के प्रति नजरिया संदेहास्पद हो गया था। हिंदुस्तान की अखंडता को क्यों नहीं बचाया

जा सका?

इसके कम से कम तीन अलग-अलग जवाब देखने को मिलते हैं। पहला जवाब कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराता है कि इसके नेतृत्व ने जिन्ना और मुसलमानों को कम करके आंका। दूसरा जिन्ना को जिम्मेदार ठहराता है जो मानवीय आपदाओं की परवाह किए बगैर एक अलग मुल्क की मांग पर अड़े रहे। तीसरा जवाब इसके लिए अंग्रेजों को जिम्मेदार ठहराता है, जिन्होंने अपना राज बनाए रखने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संघर्ष को बढ़ावा दिया।[1] उपरोक्त वर्णित तीनों आरोपों और टिप्पणियों में सत्य का कुछ न कुछ अंश अवश्य विद्यमान है।

अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई को बढ़ावा देने और इसका स्वागत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मार्च 1925 तक, जब साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष अपने वास्तविक रूप में लोकप्रिय जनमानस में जगह बना चुका था, सेक्रेट्री आफ स्टेट (इंग्लैंड में भारत मंत्री) एफ. ई. स्मिथ ने वायसराय को लिखा "मैंने हमेशा से हिंदुस्तान की सांप्रदायिक हालात में एक स्थाई और ऊंची उम्मीद पाली है।"[2] इंग्लैंड के भीतर उदारवादी चेतना के उद्धव ने व्यक्ति की निजता भावना को काफी अहमियत प्रदान की लेकिन अपने उपनिवेशों में व्यक्ति को हमेशा इसके शासक वर्ग से नीचे माना।

भारतीय इतिहास में 1942 का वर्ष बेहद महत्वपूर्ण है जिस वर्ष गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय जनमानस ने अंग्रेजो के खिलाफ अपना अंतिम आंदोलन किया। इसके साथ ही उन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। 1942 में कांग्रेस ने जब टकराव का रास्ता चुन कर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तो जिन्ना और मुस्लिम लीग को अंग्रेजों ने काम में सहयोगी पाया और ब्रिटिश राजनीतिज्ञ विस्टन चर्चिल ने खुले तौर पर हिंदू मुस्लिम टकराव को अंग्रेजी राज के आधार के लिए आवश्यक कहा।[3] चर्चिल ब्रिटिश साम्राज्यवाद का कट्टर समर्थक था, जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बना।

भारत का विभाजन और मुसलमानों के लिए अलग देश की कल्पना 1930 में ही परिलक्षित होने लगी थी जब दिसंबर1930 में मोहम्मद इकबाल ने इलाहाबाद में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पश्चिमोत्तर भारत को लेकर एक मुस्लिम राज्य की मांग कर दी थी। 1933 में लंदन में पंजाब के चौधरी रहमत अली में एक पैंफलेट "Now or Never; Are We to Live or Perish For Ever" लिखा। जिसे कालांतर में पाकिस्तान घोषणा के नाम से जाना गया। पाकिस्तान के संदर्भ में मुस्लिम लीग की मार्च 1940 के कराची अधिवेशन में विधिवत प्रस्ताव पारित किया गया यद्यपि उस प्रस्ताव में पाकिस्तान का नाम नहीं था।

1940 के लाहौर प्रस्ताव ने भारत के मुसलमानों को एक "अल्पसंख्यक समूह" से उठाकर एक "राष्ट्र" बना दिया था और बाद के विकासक्रमों ने एम. ए. जिन्ना को उनके "एकमात्र प्रवक्ता" के रूप में पेश किया। मुसलमानों की राष्ट्रीय स्थिति और उनके आत्म निर्णय के अधिकार की मान्यता और साथ ही केंद्र में

प्रतिनिधित्व में हिंदुओं की "बराबरी" की स्थिति, अब जिन्ना और मुस्लिम लीग के लिए समझौतों से परे, न्यूनतम मांगे बन गई। जिन्ना ने क्रिप्स के पेशकश को इसी कारण रद्द किया था कि मुसलमानों के आत्म निर्णय का अधिकार और राष्ट्र के रूप में समानता की मांग को मान्यता नहीं दी गई थी। केवल प्रांतों को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार देना ही पर्याप्त नहीं था।[4]

भारत विभाजन के संदर्भ में राष्ट्रीय आंदोलन के अधिकांश बड़े नेता भारत विभाजन की पक्ष में नही थे लेकिन विभाजन के विरोध के बावजूद वे इस निष्कर्ष पर पंहुचे कि भारत विभाजन कर स्वशासन प्राप्त कर लिया जाए। खास तौर से गांधी जी, प.नेहरु तथा सरदार पटेल तथा मुस्लिम लीग के मो. अली जिन्ना का विभाजन को लेकर अपना मत था। इसी प्रकार डॉ. बी. आर. अंबेडकर के भी अपने विचार थे जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक "*Thoughts on Pakistan*" और इसके दूसरे संस्करण "*Pakistan or Partition of India*" में उल्लेखित किया है।

ऐसे लोगों में केवल गांधी अकेले नहीं थे जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी को जश्न मनाने की बजाय शोक मनाने का फैसला किया था। सरहद के उस पार पाकिस्तान में, जहां आजादी एक दिन पहले ही मिल गई थी मशहूर शायर फैज ने लिखा है-

यह दाग-दाग उजाला, यह सबगजीदा सहर
वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं
ये वो सहर तो नहीं, जिसकी आरजू लेकर
चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं
फलक के दश्त में तारों की आखरी मंजिल
कहीं तो होगा शब-ए-सुस्त मौज का साहिल
कहीं तो जा रुकेगा, सफीना ए गमें दिल[5]

(कैसी दागदार रोशनी के साथ निकली है यह सुबह इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जब हम सफर में निकले थे हमने ऐसी सुबह की तो कल्पना नहीं की थी...। हमारी कल्पनाओं की सुबह तो उस मुकाम की तरह थी जैसे कोई आसमान की चादर पर चलते हुए जगमगाते तारों के पास पहुंच जाए... या जैसे कि रात में समंदर की धीमी लहरों को उसका किनारा मिल जाए...। आखिर कहीं तो गम से भरे इस दिल की नैया को किनारा तो मिलेगा...?)

डॉ. अंबेडकर गांधीजी के विचार कि पहले आजादी उसके पश्चात विभाजन के सुझाव को महत्वहीन समझते थे और उन्होंने राजाजी योजना को भी स्वप्नलोक में विचरण करने की संज्ञा दी। राजाजी योजना (1943-44) जिसमें सुझाव दिया गया था कि एक अस्थाई सरकार लीग कांग्रेस की बने। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार इससे दोनों पक्ष आपस में झगड़ते। जिन्ना भावी आश्वासनों पर यकीन करने वालों में नहीं थे।

1940 में लिखित "*Thougts on Pakistan*" पुस्तक से प्रायः यह परिलक्षित होता है कि वे विभाजन के पक्ष में थे लेकिन डॉ. अंबेडकर का कहना था कि इस ग्रंथ में उन्होंने विभाजन को लेकर हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षों के तर्कों की निष्पक्ष प्रस्तुति और मीमांसा की है।[6] तत्कालीन समय में पुस्तक चर्चा का विषय बन गई। डॉ आंबेडकर के जीवनी लेखक धनंजय कीर इस किताब को बमशैल यानी बम गिराना कहते हैं।[7]

डॉ. अंबेडकर ने अपनी इस पुस्तक की भूमिका में कार्लाइल को उद्धृत किया है। कार्लाइल ने कहा था कि "इंग्लैंड की मेधा, जो कभी तूफानों की छाती चीरकर उड़ान भरते जाने वाले बाज के समान थी, जिसे अपने शौर्य पर गर्व था और जो विश्व को चुनौती देती थी, वह अब सूरज की ओर उड़ान नहीं भर रही है। इंग्लैंड की इस मेधा की सोच उस शुतुरमुर्ग की तरह हो गई है जो पास पड़े चमड़े तक को निगलने को आतुर रहता है। उसे चाहे जो भ्रांतियां हों, एक दिन तो उसे जागना ही पड़ेगा, भले ही वह अपना सिर कितनी देर तक गड़ाए रहे। उसे एक दिन जागना ही है। मनुष्य और देवता ने हमें जगाया है। हमारे पूर्वज भी हमें सतत जागरण का संदेश दे रहे हैं।"[8]

डॉ. अंबेडकर ने इस ग्रंथ में मुस्लिम मानसिकता का उल्लेख किया है। डॉ. अंबेडकर ने मुस्लिम आक्रांताओं एवं मंदिरों के विध्वंस एवं जबरन धर्मांतरण की लंबी सूची दी है। विदेशी इस्लामी आक्रमण का उद्देश्य क्या था ? लूटपाट करना या फिर देश को फतह करना? इसका उत्तर देते हुए डॉ. अंबेडकर ने तैमूर के संस्मरण को उद्धृत करते हुए दिया है, "हिंदुस्तान पर हमले का मेरा मकसद काफिरों के खिलाफ अभियान चलाना और मोहम्मद के आदेशानुसार उन्हें सच्चे दीन में मतांतरित करना है। उस धरती को मिथ्या आस्था और बहुदेववाद से मुक्त करना है। हम गाजी और मुजाहिद होंगे। अल्लाह की नजर में सहयोगी और सैनिक सिद्ध होंगे।"[9]

इस संदर्भ में यह तर्क दिया जा सकता है कि मुसलमान मुगल हमलावरों ने दिल्ली में पूर्व से काबिज हम मजहब शासक इब्राहिम लोदी पर हमला किया। इसका उत्तर देते हुए डॉ. अंबेडकर कहते हैं कि भारत पर मुसलमानों के हमले भारत के विरुद्ध हमले तो थे ही साथ ही वो मुसलमानों के आपसी युद्ध भी थे। वे आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन थे परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि वह सभी एक सामूहिक उद्देश्य से प्रेरित थे वह था हिंदू धर्म का विध्वंस करना।

यद्यपि कहा जाता है कि डॉ. अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में मुस्लिम मनोविज्ञान एवं अन्य मजहब पर उनके दृष्टिकोण को लेकर सख्त टिप्पणी की थी, जो कालांतर में उन्होंने अपने मित्रों के कहने पर हटा दी। उनके जीवनी कार धनंजय कीर के अनुसार, यदि वे ना हटाते तो शायद अंबेडकर को भी वही असुखद अनुभव होता जो कभी एच. जी. वेल्स को लंदन में मुसलमानों के हाथों हुआ था।[10]

कांग्रेस द्वारा मुस्लिमों के तुष्टिकरण से डॉ. अंबेडकर काफी एतराज करते हैं। उनका मानना था कि कांग्रेस

मुसलमानों के नाजायज मांगों के आगे नतमस्तक हो जाती है। इसलिए उनकी मांगें बढ़ती जाती हैं, 1916 में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का अधिवेशन लखनऊ में हुआ। जहां मुसलमानों की मांग को लेकर लखनऊ समझौता हुआ। डॉ. अंबेडकर का मानना था कि इस समझौते के मुताबिक कांग्रेस ने मुस्लिम सांप्रदायिकता के सामने समर्पण कर दिया। डॉ. आंबेडकर प्रश्न उठाते हैं कि क्या हिंदुओं के शासक वर्ग ने जिसने हिंदू राजनीति पर अपना अधिकार कर रखा है शूद्र एवं अस्पृश्यों की तुलना में मुसलमानों के अधिकारों और हितों की चिंता ज्यादा नहीं की है? क्या अस्पृश्यों के पृथक निर्वाचन मंडल का विरोध करने वाले गांधीजी मुस्लिमों के हक में कोरे चेक पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं है?

उस समय के मुसलमानों का भारत के भविष्य को लेकर क्या चिंतन है? इसको दर्शाने के लिए कांग्रेस के ही दो मुसलमान नेताओं को उद्धृत किया है।

सैफुद्दीन किचलू के अनुसार, "कांग्रेस उस समय तक निर्जीव थी जब तक खिलाफत कमेटी ने इसमें जान नहीं फूंकी। जब खिलाफत कमेटी कांग्रेस में शामिल हुई तो इसने 1 साल में वह काम कर दिखाया जो हिंदू कांग्रेस 40 साल में भी नहीं कर सकी थी।... यदि हम ब्रिटिश शासन को इस देश से उखाड़ फेंकते हैं और स्वराज स्थापित कर लेते हैं और अफगान या दूसरे मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करते हैं तो इस देश को विदेशी आक्रमण से बचाने के लिए हम मुसलमान उनका मुकाबला करेंगे और अपने पुत्रों का बलिदान कर देंगे। परंतु एक बात मैं स्पष्ट करूंगा कि सुनो! मेरे हिंदू भाइयों सुनो! यदि आप हमारे तंजीम के आंदोलन में बाधा डालेंगे और हमें हमारा अधिकार नहीं देंगे, तो हम अफगानिस्तान या अन्य मुस्लिम शक्ति के साथ हाथ मिलाएंगे और इस देश में अपना शासन स्थापित करेंगे।"[11] ध्यान रहे इस्लाम के लिए तंजीमी आंदोलन का मतलब मतांतरण के अधिकार से होता है।

इसी संदर्भ में अंबेडकर ने कांग्रेस ने दूसरे वरिष्ठ नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद को उद्धृत किया। कलाम के अनुसार, "जनसंख्या के हिसाब से बंगाल और पंजाब में मुसलमानों का थोड़ा सा ही बहुमत है। पर दिल्ली प्रस्तावों से उन्हें पांच प्रांत और मिल गए हैं जिनमें तीन प्रांतों सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बलूचिस्तान में मुसलमानों का भारी बहुमत है। यदि मुसलमान इस महत्वपूर्ण कदम को नहीं समझते तो वे जीवित रहने के लायक नहीं है। अब पांच मुस्लिम प्रांतों के मुकाबले नौ हिंदू प्रांत होंगे। इन नौ प्रांतों में मुसलमानों के साथ हिंदू जैसा व्यवहार करेंगे, उसी के अनुरूप मुस्लिम प्रांतो में मुसलमान, हिंदुओं के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। क्या यह बहुत बड़ा लाभ नहीं है? क्या मुस्लिम अधिकारों को जताने से हमें नया अधिकार नहीं मिल गया?"[12]

डॉ. बी. आर. अंबेडकर मानना था कि क्या मुसलमान अभी यह नहीं सोचते होंगे कि अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों से शासन सत्ता छीनी गई थी? तथा अंग्रेजों के जाने के पश्चात उन्हें ही शासन मिलना चाहिए? जिस समय कांग्रेस हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आंदोलन चला रही थी उस समय भी मुस्लिम

नेतृत्व के एक वर्ग को लगा कि इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए मुस्लिम देशों से सहायता लेने में कोई हर्ज नहीं, अतः अफगानिस्तान के अमीर को आमंत्रण देने में उन्होंने हिचक नहीं दिखाई।[13] यह चिंता डॉ. अंबेडकर के मन में थी।

डॉ. अंबेडकर का मानना था कि अगर ब्रिटिश सत्ता के समाप्त होने के पश्चात मुस्लिम समाज अपने को हिंदुस्तान की धरती से एक ना कर सका और हिंदुस्तान में मुस्लिम शासन स्थापित करने हेतु विदेशी मुस्लिम देशों से सहायता लेने के लिए देखने लगा तो भारत की स्वतंत्रता पुनः खतरे में पड़ जाएगी?

डॉ. अंबेडकर उत्तर पश्चिम सीमा पर सेना में मुसलमानों के बढ़ते वर्चस्व को हिंदुस्तान के भविष्य के लिए हानिकारक समझते थे। उनका मानना था कि यदि सेना सांप्रदायिक भावना से प्रेरित होगी तो देश का भविष्य सुरक्षित नहीं रह सकता। उत्तर पश्चिम की मुस्लिम सेना को विदेशी हमले से देश का एकमात्र रक्षक बनाने के, वे खिलाफ थे उनका मानना था कि उत्तर पश्चिम के मुसलमान अपनी विशेष सामरिक स्थिति को लेकर बेहद जागरूक हैं और अपने को भारत का द्वारपाल मानते हैं। हिंदुस्तान की रक्षा के लिए हिंदू इन द्वारपालों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं?

अगर हमलावर रूसी होंगे तो यह द्वारपाल द्वार की रक्षा बड़ी निष्ठा और मजबूती से करेंगे। लेकिन मान लो अफगानिस्तान अकेले ही या अन्य मुस्लिम देशों के साथ मिलकर हिंदुस्तान पर हमला करता है तो क्या यह द्वारपाल द्वार खोलकर उन्हें अंदर नहीं आने देंगे?[14] हिंदुओं के सामने कठिन विकल्प है कि या वे निरापद सेना को चुने या फिर सुरक्षित सीमा को। मुसलमानों का बाहर रहकर विरोध करना भीतर रहकर विरोध करने से बेहतर है।

डॉ. अंबेडकर ने विभाजन के संदर्भ में यह राय दी थी पाकिस्तान बनाने के पहले पाकिस्तान के हिंदू और हिंदुस्तान के मुसलमानों की अदला बदली हो जानी चाहिए। उन्होंने तुर्किस्तान मिस्र देशों के उदाहरण देते हुए यह साफ-साफ स्पष्ट किया कि मुसलमानों को पाकिस्तान बनाने देना किस तरह से हिंदुओं के लिए हितकर होगा। केंद्रीय सत्ता को सशक्त करने के लिए भारत का विभाजन अपरिहार्य है, अन्यथा "भारत की स्वाधीनता सदैव संकट में रहेगी।"

डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने भौगोलिक एवम सांस्कृतिक दृष्टि से अखंड इस भारत को क्यों विभाजित किया जाना चाहिए? इस संदर्भ में वो कहते हैं कि हिंदुओं को शांति से जीने के लिए भारत को हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो भागों में विभाजित कर देना चाहिए। साथ ही "हिंदुओं को मन में यह डर नहीं रखना चाहिए कि पड़ोस के मुस्लिम राष्ट्र हम पर धावा बोल देंगे क्योंकि वर्तमान युद्ध तंत्र के कारण देश की भौगोलिक सीमा का आज की दुनिया में कोई महत्व नहीं है। सुरक्षित सीमा की अपेक्षा भारत के प्रति निष्ठा रखने वाली गैर मुसलमानों की फौज हिफाजत के लिहाज से ज्यादा अहम है।"[15] डॉ. अम्बेडकर ने कहा है कि मुस्लिम समाज मूल रूप से धार्मिक प्रवृत्ति रखने वाला समाज है तथा वह सामाजिक सुधार का विरोधी

भी है। मुसलमानों द्वारा इस्लाम को हमेशा से उपयोगी और जगत में प्रसारित धर्म माना जाता है। उनकी रीति और संबंध केवल मुस्लिम समाज तक ही सीमित है। डॉ. अम्बेडकर ने अपने ग्रंथ में इन सभी तथ्यों का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है।

'थॉट्स ऑन पाकिस्तान' पुस्तक विचार, आशय, विद्वता, ज्ञान और जानकारी से भरा हुआ यह ग्रंथ आधुनिक भारत की राजनीतिक घटनाओं को सही परिस्थितियों में प्रस्तुत करने वाले इतिहास है। डॉ. आंबेडकर की बुद्धिमत्ता, राष्ट्रभक्ति और हिंदू समाज की नियति के लिए चिंता इन सारी विशेषताओं का सुंदर मिलाप इस ग्रंथ में दृष्टिगोचर होता है। पाकिस्तान विषय पर यह एक अधिकार पूर्ण ग्रंथ है इसे महात्मा गांधी और जिन्ना साहब ने भी मान्यता प्रदान की है।[16] इसी ग्रंथ का दूसरा संस्करण 'पाकिस्तान ऑर दी पार्टीशन आफ इंडिया' नाम से 1945 में प्रकाशित हुआ।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने विभाजन के 7 साल पहले ही भारत विभाजन की त्रासदी की भविष्यवाणी कर दी थी। कि अगर भारत का विभाजन समझदारी से न किया गया तो व्यापक जनसंहार होगा। लेकिन तत्कालीन सरकार, कांग्रेस और मुस्लिम लीग सबने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। इसी कारण पाकिस्तान अस्तित्व में तो आया मगर लाखों लोग हिंदू और मुसलमान दोनों को जातीय दंगों में अपनी जान गवानी पड़ी।

संदर्भ स्रोत:-

1. देश के विभाजन पर भारी मात्रा में साहित्य उपलब्ध है जिनमें, शामिल है - (1) मुख्य नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों का संस्मरण जिन्होंने उस समय सरकार में काम किया था। (2) नेहरू, गांधी, जिन्ना, पटेल और माउंटबेटन जैसे महत्वपूर्ण राजनेताओं की जीवनियां जिन्होंने वार्ता में हिस्सा लिया था। (3) पंजाब और बंगाल में बंटवारे का क्षेत्रीय तौर पर किया गया अध्ययन और (4) अन्य लोगों द्वारा किया गया व्यापक विश्लेषणात्मक लेखन। इसके साथ ही ब्रिटेन (द ट्रांसफर आफ पावर प्रोजेक्ट) और भारत (टुवर्ड्स फ्रीडम प्रोजेक्ट इसके साथ ही नेहरू, पटेल और गांधी के प्रकाशित पत्र) में प्रकाशित मूल दस्तावेज का भी यहां जिक्र करना जरूरी है। उपर्युक्त विभाजन साहित्य के प्रासंगिक विवरणों के साथ सुचेता महाजन की पुस्तक, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन : द इरोजन ऑफ कॉलोनियल पावर्स इन इंडिया (नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन, 2000) बेहतरीन दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इससे पहले सी. एच. फिलिप्स और मैरी डोरीन वेनब्राइट द्वारा संपादित द पार्टीशन ऑफ इंडिया: पॉलिसीज एंड पर्सपेक्टिव (लंदन : जॉर्ज एलेन एंड अनविन, 1970)कई विरोधाभासी बिंदुओ की तरफ इशारा करते हैं।
2. लॉर्ड बिरकेनहेड द्वारा लॉर्ड रीडिंग को लिखा गया पत्र जिसे जॉन ग्रिग के 'मिथ्स अबाउट अप्रोच टु द इंडियन इंडिपेंडेंस' उद्धृत किया गया है। इसका संपादन विन रोजर लुईस ने, मोर एडवेंचरस विद

ब्रिटेनिया: पर्सनैलिटीज, पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन ब्रिटेन (ऑस्टिन: यूनिवर्सिटी आफ टैक्सास प्रेस, 1998, पृ. 211) में किया है।

3. शेखर बंधोपाध्याय, पलासी से विभाजन तक और उसके बाद, 2019, ओरियंट ब्लैकस्वान, भारत, पृ. 441.
4. वही, पृ. 441.
5. फैज अहमद फैज की सुबह ए आजादी उर्दू से इसका अनुवाद बी. जी. कैरनान ने पोयम्स बाई फेस के नाम से किया है। (1958, पुनर्मुद्रण, नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2000) पृ. 123-24.
6. कुलदीप अग्निहोत्री, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर यात्रा के पदचिन्ह, 2018, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, पृ.98
7. धनंजय कीर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन चरित,2022 पॉपुलर प्रकाशन, पृ. 317.
8. बाबासाहेब आंबेडकर संपूर्ण वांग्मय, खंड 15, पृ. 14.
9. वही, पृ. 38-39.
10. धनंजय कीर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन चरित,2022 पॉपुलर प्रकाशन, पृ. 318. अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक एच. जी. वेल्स ने 1922 में पुस्तक लिखी, "*History of the World* "इसमें एक अध्याय मुसलमानों एवं इस्लाम पर भी था। मुसलमानों की दृष्टि में उनका यह विश्लेषण आपत्तिजनक था। लंदन में व भारत की कुछ शहरों में भी मुसलमानों ने वेल्स के खिलाफ प्रदर्शन किए, उनकी किताब जलाई और उनके साथ दुर्व्यवहार किया।
11. बाबासाहेब आंबेडकर संपूर्ण वांग्मय, खंड 15, पृ. 270-271.
12. वही, पृ. 96.
13. वही, पृ. 85.
14. डॉ. अंबेडकर, पाकिस्तान ऑर पार्टीशन ऑफ इंडिया, पृ. 61- 68.
15. वसंत मून, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर,2020, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, पृ. 136.
16. वही, पृ. 136.